

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या - \*190  
उत्तर दिनांक 12/12/2024 को दिया गया

देश में परमाणु ऊर्जा स्टेशन

\*190. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) आज की तिथि के अनुसार देश में उन परमाणु ऊर्जा स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जिनकी निधानी अवधि (शेल्फ लाइफ) निकट भविष्य में समाप्त होने वाली है;
- (ख) इन ऊर्जा स्टेशनों से उत्पन्न होने वाली रेडियोधर्मिता के खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि के अनुसार उन परमाणु ऊर्जा स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जिनसे रेडियोधर्मिता के कारण रिसाव हुआ है;
- (घ) क्या इन ऊर्जा स्टेशनों के आसपास रहने वाले परिवारों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है/कराए जाने का प्रस्ताव है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ) तक सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**परमाणु ऊर्जा विभाग**

"देश में परमाणु ऊर्जा स्टेशन" के संबंध में श्री जी.सी. चन्द्रशेखर द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*190 (दसवां स्थान), जिसका उत्तर दिनांक 12.12.2024 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण।

- (क) वर्तमान में, भारत में कोई नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर नहीं है जिसकी आयु सीमा निकट भविष्य में समाप्त होने वाली है। प्रचलन के अनुसार, रिएक्टरों की प्रणालीगत आयु मूल्यांकन अध्ययन और आयु विस्तार उपायों के आधार पर उनकी प्रारंभिक डिजाइन अवधि से परे उनकी आयु बढ़ाई जाती है। जिन रिएक्टरों की आयु-सीमा का विस्तार किया जाता है, संरक्षा की शर्तों के अनुसार उनका उन्नयन कर, उन्हें अत्याधुनिक स्तर पर लाया जाता है। तब उन्हें परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा लाइसेंस प्रदत्त विस्तारित अवधि के लिए प्रचालित किया जाता है। हालांकि, आरएपीएस#1, काफी समय से शटडाउन के अधीन है।
- (ख) प्रश्न नहीं उठता।
- (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, एईआरबी द्वारा निर्धारित सीमा से परे रेडियोसक्रियता के रिसाव या निस्सरण की कोई घटना नहीं हुई है।
- (घ) व (ङ) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों (एनपीपी) से उनके प्रचालन के दौरान रेडियोसक्रिय निस्सरण का नियमन परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा किया जाता है और यह पूरी तरह से एईआरबी द्वारा निर्दिष्ट सीमा के भीतर ही होते हैं।

एईआरबी ने प्रत्येक एनपीपी स्थल के आस-पास पर्यावरणीय निगरानी की आवश्यकता भी निर्धारित की है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना से पहले सभी स्थलों पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) की पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं (ईएसएल) स्थापित की जाती हैं। ईएसएल पर्यावरण में बाहरी विकिरण स्तरों की लगातार निगरानी करती हैं, मौसम विज्ञान संबंधी मापदंडों को मापती हैं और नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के प्रचालन से उत्पन्न रेडियोसक्रिय अपशिष्ट के निस्सरण/भंडारण सहित उनके योगदान, यदि कोई हो, का आकलन करने के लिए, विभिन्न पर्यावरणीय आव्यूहों (मैट्रिक्स) के नमूनों में रेडियोन्यूक्लाइड के वितरण और सांद्रता का विश्लेषण करती हैं। ईएसएल स्थलों के आसपास 30 किमी की दूरी तक जलीय, वायुमंडलीय और स्थलीय क्षेत्रों की विस्तृत निगरानी रखती है। ईएसएल द्वारा की गई पर्यावरणीय निगरानी की रिपोर्टों की समीक्षा एईआरबी द्वारा की जाती है और यह देखा गया है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र के प्रचालन के कारण लोगों और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाली जनता में विकिरण की मात्रा, एईआरबी की निर्दिष्ट सीमा 1 मिली सीवर्ट प्रति वर्ष का एक छोटा सा अंश ही होता है।

\*\*\*\*\*